न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 05/2023 (2023/14)

प्रार्थी :–
मानवेन्द्र प्रर्वतन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय (प्रथम) जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
आसुराम पुत्र रत्नाराम, जाति मेघवाल, निवासी धरती आंगण प्रोजेक्ट, झालामण्ड गांव, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत।

उपस्थिति :–
अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 22.03.2023

श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 84 दिनांक 10.01.2023 की अनुपालना में यह प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय–प्रथम, जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी आसुराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल धरती आंगण प्रोजेक्ट, झालामंड गांव, जोधपुर के विरूद्ध पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 23.12.2022 को टी स्टॉल धरती आंगन प्रोजेक्ट दुकान की जांच करने पर दुकान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए जिनका उपयोग दुकान में भट्टी लगाकर चाय नाश्ता बनाने के लिए उपयोग हो रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होने से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया।

उक्त अवैध संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने तथा धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात् कर अंतरिम निस्तारण करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होना पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए व 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा निम्न घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात् (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस0 आर0 क्रमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल0 पी0 जी0 किग्रा में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में
1.	749656	भारतगैस	15.800	23.700	7.900

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:25 IST
Reason: SelfAttested